अध्याय-II

भूमि का नियोजन एवं अधिग्रहण

अध्याय-II

भूमि का नियोजन एवं अधिग्रहण

इस अध्याय में विभिन्न योजनाओं की तैयारी और भूमि अधिग्रहण लक्ष्यों की प्राप्ति में पाई गई कमियों पर चर्चा की गई है। अग्रेतर, अध्याय में यूपीसीडा द्वारा उ.प्र. सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना विनियमनों के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई है।

प्रस्तावना

2.1 यूपीसीडा के गठन से पूर्व, यूपीएसआईडीसी के अधिकांश आईए विभिन्न शहरी विकास प्राधिकरणों के विनियमित विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आच्छादित थे। यूपीसीडा के गठन (सितम्बर 2001) के बाद, तत्कालीन विद्यमान 123 आईए को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास क्षेत्र घोषित किया गया तथा यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 की धारा 17 (अधिनियम के अधिभावी प्रभाव) के अनुसार विभिन्न शहरी विकास प्राधिकरणों की महायोजना अथवा जोनल विकास योजनाओं से बाहर रखा गया था।

यूपीसीडा के बोर्ड ने अपनी प्रथम बैठक (सितम्बर 2001) में राज्य के औद्योगिकीकरण के लिए यूपीसीडा के स्थानिक-आर्थिक विकास, रणनीतियों और सामान्य कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए समग्र परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने की आवश्यकता को अनुभव किया। परिप्रेक्ष्य योजना के ढांचे के अन्तर्गत, यूपीसीडा द्वारा प्रत्येक अधिसूचित क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार की जानी थी। ऐसी योजनाओं के महत्व को स्वीकारते हुए, बोर्ड ने अनुभव किया कि परिप्रेक्ष्य योजनाओं/विकास योजनाओं की तैयारी में कुछ समय लग सकता है।

यूपीसीडा के सृजन के कारण विभिन्न शहरी विकास प्राधिकरणों की महायोजनाओं या जोनल विकास योजनाओं से बाहर रखे गए औद्योगिक विकास क्षेत्रों को विकसित करने के लिए, बोर्ड ने यूपी राज्य औद्योगिक विकास क्षेत्र (औद्योगिक क्षेत्रों के नियोजित विकास हेतु ट्रांजिटरी प्रावधान) विनियमन, 2001 को अंगीकृत किया (सितम्बर 2001)। इन विनियमनों को उ.प्र. सरकार द्वारा जून 2002 में अनुमोदित किया गया था। अप्रैल 2005 में, यूपीसीडा ने विभिन्न विनियमनों[1] को कार्यान्वित किया जिसमें अधिसूचित क्षेत्रों के विनियोजित विकास के लिए त्रिस्तरीय नियोजन दृष्टिकोण को अंगीकृत करना अपेक्षित था।

यूपीएसआईडीसी की आस्तियों एवं दायित्वों को यूपीसीडा का अंतरण करने के सम्बन्ध में अध्यादेश जारी (जून 2018) होने के बाद, यूपीसीडा बोर्ड ने यूपीसीडा के समुचित संचालन के लिए यूपीसीडा ट्रांजिटरी प्रावधान 2018 को अनुमोदित किया (नवम्बर 2018) और लागू किया (जनवरी 2019)। यूपीसीडा ट्रांजिटरी

---

[1] उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास क्षेत्र (योजनाओं के बनाने एवं अन्तिमीकरण) विनियमन - 2004; उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास क्षेत्र, भूमि विकास विनियमन - 2004; उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास क्षेत्र, भवन विनियमन-2004।

प्रावधान 2018 में, अन्य बातों के साथ-साथ, कहा गया है कि यूपीएसआईडीसी के ऑपरेटिंग मैनुअल/विनियमन/उपनियम, यूपीसीडा पर यूपीआईएडी अधिनियम 1976, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (केन्द्रीयकृत) सेवा विनियमन 2018, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास क्षेत्र भूमि विकास एवं भवन विनियमन 2018 तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास क्षेत्र (योजनाओं की तैयारी एवं अंतिम रूप देना) विनियमन 2004 के अधिभावी प्रभाव के अधीन, लागू होंगे। यूपीसीडा ट्रांजिटरी प्रावधान 2018 के अनुसार यूपीसीडा को अपने द्वारा संपादित किए जाने वाले सभी कार्य दायित्वों के लिए उपनियम/आपरेटिंग मैनुअल शीघ्रतम तैयार करना था। तथापि, यूपीसीडा ने आज तक केवल औद्योगिक क्षेत्र ऑपरेटिंग मैनुअल 2023 तैयार किया था।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.2 यूपीसीडा/यूपीएसआईडीसी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, आईए के विकास हेतु भूमि के नियोजन एवं अधिग्रहण से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणामों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

उ.प्र. सरकार के अनुमोदन के बिना विनियमनों का कार्यान्वयन

2.2.1 यूपीसीडा ने, औद्योगिक विकास क्षेत्र के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उ.प्र. सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना जो कि यूपीआईएडी अधिनियम की धारा 19 (1) के अन्तर्गत आवश्यक था, निम्नलिखित विनियमनों को, अनुमोदित[2] और कार्यान्वित किया (23 अप्रैल 2005):

- उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास क्षेत्र (योजनाओं के बनाने एवं अन्तिमीकरण) विनियमन - 2004
- उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास क्षेत्र, भूमि विकास विनियमन - 2004
- उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास क्षेत्र, भवन विनियमन-2004

उपर्युक्त प्रकरण पर, सीएजी के 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र-गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में भी पूर्व में टिप्पणी की जा चुकी थी। तथापि, इस सम्बन्ध में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तत्पश्चात्, बोर्ड के अनुमोदन[3] से 26 नवम्बर 2018 से दो पूर्ववर्ती विनियमनों (अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक क्षेत्र भवन विनियमन 2004 तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक क्षेत्र, भूमि विकास विनियमन 2004) के स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास क्षेत्र भूमि विकास एवं भवन विनियमन 2018 (विनियमन 2018) लागू किया गया। विनियमन 2018 पर भी उ.प्र. सरकार का अनुमोदन लम्बित था। इस प्रकार, यूपीसीडा अनुमोदित विनियमनों के बिना अपने कार्यों का प्रबंधन कर रहा था।

---

[2] अपनी 7 वी बोर्ड बैठक में (10 मार्च 2005 को आयोजित)।

[3] 29 जनवरी 2018 को संपन्न 28 वी बोर्ड बैठक मे।

यूपीसीडा ने उत्तर दिया (सितम्बर 2023) कि उ.प्र. सरकार द्वारा उपर्युक्त विनियमनों के अनुमोदन और जारी होने तक विकास योजनाएं बनाने का अधिकार उसके पास है। उ.प्र. सरकार ने यह भी बताया (जुलाई 2024) कि भवन विनियमन राज्य सरकार के अनुमोदन की प्रत्याशा में लागू किये गये थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत उ.प्र. सरकार का पूर्व अनुमोदन भी लम्बित था।

परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई

2.2.2 उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास क्षेत्र (योजनाओं के बनाने एवं अन्तिमीकरण) विनियमन, 2004 के प्रस्तर 2.0 के अनुसार, यूपीसीडा 20 वर्ष की अवधि के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार[4] करेगा, जिसकी प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद समीक्षा की जाएगी। यह नीतिगत दस्तावेज, राज्य सरकार के परामर्श और अनुमोदन से तैयार किया जाएगा, जिसमें उत्पादकता और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर औद्योगिक नीति/योजनाओं का वर्णन किया जाएगा। यह विकास केन्द्रों की पहचान करेगा, नियोजित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा तथा अनियोजित/विकीर्ण औद्योगिक विकास पर अंकुश लगायेगा। यह औद्योगिक विकास क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्राधिकरण के लक्ष्य, रणनीति और सामान्य कार्यक्रम उपलब्ध करायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपर्युक्त उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए यूपीसीडा ने अपने गठन के बाद से कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2024) के दौरान, यूपीसीडा ने सूचित किया कि उत्तर प्रदेश के 55 जिलों में लघु समूहों में 154 आईए स्थित हैं और आईए की भौगोलिक स्थिति भिन्न है। इस प्रकार, प्रत्येक आईए में कोई भी एक योजना लागू नहीं की जा सकती थी। इसलिए, यूपीसीडा ने लघु योजनाएं या विकास योजनाएं तैयार कीं। उ.प्र. सरकार ने बताया (जुलाई 2024) कि यूपीसीडा का दृष्टिकोण औद्योगिक क्लस्टरों के विकास के लिए परियोजना के प्रकार और स्तर के अनुसार भिन्न होता है।

उत्तर में इंगित अन्य योजनाओ पर प्रेक्षण को आगामी प्रस्तरो में सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर यह उल्लेख करना उचित है कि यूपीसीडा को त्रिस्तरीय नियोजन दृष्टिकोण (अर्थात् राज्य स्तर पर परिप्रेक्ष्य योजना, अधिसूचित क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए विकास योजना और विशेष क्षेत्र योजना तथा विकास योजनाओं के सेक्टरों या उनके भागों के लिए परियोजना और स्कीम क्षेत्र योजना) को अंगीकृत करना अपेक्षित था, जैसा कि यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 की धारा 6 के निर्देशों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों के नियोजित विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास क्षेत्र (योजनाओं के बनाने एवं अन्तिमीकरण) विनियमन, 2004 के प्रस्तर 1.5.1 में विस्तृत रूप से वर्णित है।

[4] यूपीआईएडी अधिनियम की धारा 6, 18 और 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत।

विकास/पुनर्विकास योजनाएँ तैयार नहीं की गई

2.2.3 उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास क्षेत्र (योजनाओं के बनाने एवं अन्तिमीकरण) विनियमन, 2004 के प्रस्तर 3.0 के अनुसार, यूपीसीडा, यूपीआईएडी अधिनियम की धारा 6 बी के अन्तर्गत, अपने प्रत्येक अधिसूचित क्षेत्र के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित विकास योजनाएं तैयार करेगा, जिसमें पाँच वर्ष के बाद संशोधन का भी प्रावधान होगा। यह भौतिक योजनाएं होंगी, जिनमें औद्योगिक उपयोगों के लिए मांग आकलन के साथ-साथ भू क्षेत्र आवंटन तथा इसके अन्य सहायक शहरी भू-उपयोगों को व्यापक रूप से दर्शाया जाएगा। योजना में अनुकूलता के आधार पर विभिन्न उपयोग क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आवंटन, अनुषंगी और सहायक गतिविधियों के लिए क्षेत्र तथा सड़कों, संचार, विद्युत, अपशिष्ट निपटान आदि की पूर्ण नेटवर्क प्रणाली प्रदान की जाएगी। योजना में विकास के मानदण्डों और मानकों को परिभाषित किया जाएगा।

यूपीसीडा बोर्ड ने अपनी 12वीं बैठक (जुलाई 2007) में विचार-विमर्श किया कि उसने भूमि विकास विनियमन 2004 के 23 अप्रैल 2005 से प्रभावी होने के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 2004 को विद्यमान विकास योजनाओं को "डीम्ड विकास योजना" के रूप में अंगीकृत किया। यूपीसीडा बोर्ड ने अपनी 24वीं बैठक (जून 2015) में आस-पास के शहरों में अत्यधिक जनसंख्या वाले आईए के लिए पुनर्विकास योजनाओं की तैयारी की आवश्यकता पर बल दिया। अग्रेतर, यूपीसीडा बोर्ड ने अपनी 34वीं बैठक (नवम्बर 2019) में विचार-विमर्श किया कि विकास योजनाएं आज तक लम्बित हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यूपीसीडा ने अपने अधिसूचित क्षेत्र के लिए विकास/पुनर्विकास योजनाएं तैयार नहीं कीं, जबकि यह उनके विनियमनों और बोर्ड की उपर्युक्त बैठकों में विचार-विमर्श के अनुसार आवश्यक थी।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2024) के दौरान, यूपीसीडा ने बताया कि विकास योजना/पुनर्विकास योजनाओं को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। उ.प्र. सरकार ने यूपीसीडा को विकास योजना/पुनर्विकास योजनाओं की बोर्ड स्वीकृति से सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। तथापि, यूपीसीडा द्वारा लेखापरीक्षा को ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अपने उत्तर (जुलाई 2024) में, उ.प्र. सरकार ने यूपीसीडा द्वारा विकास/पुनर्विकास योजनाएँ तैयार न करने के विषय को संबोधित नहीं किया।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना/स्कीम योजना का अनुमोदित न होना

2.2.4 उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक क्षेत्र (योजनाओं के बनाने एवं अन्तिमीकरण) विनियमन, 2004 के प्रस्तर 4 के अनुसार, यूपीसीडा, यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 की धारा 6 (2) सी/डी/ई के अन्तर्गत उन सभी परियोजनाओं और योजनाओं के लिए परियोजना और स्कीम योजनाएं तैयार करेगा, जो उन औद्योगिक विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत आती हैं, जहाँ विकास योजनाएं यूपीसीडा

द्वारा तैयार की गई हैं। ये योजनाएँ मूल रूप से लेआउट योजनाएँ होंगी, जिनमें सभी प्रकार की सड़कें, भूखण्ड, खुले स्थान, सेटबैक और उपयोग पदनामों से सम्बन्धित सभी भवन विकास-नियंत्रण, नेटवर्क और सेवा सुविधाएँ, वितरण और निपटान की प्रणाली एवं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सीमांकित आरक्षित क्षेत्र दर्शाए जाएँगे। परियोजना और स्कीम योजना को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा संस्वीकृति प्रदान की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीसीडा (पूर्ववर्ती यूपीएसआईडीसी सहित) ने समय-समय पर 153 औद्योगिक क्षेत्रों से सम्बन्धित 187 परियोजनाएं और स्कीम योजनायें तैयार की थीं। उपर्युक्त विनियमनों के अनुसार, इनमें से 64 स्कीम योजनाओं (लेआउट) को सक्षम प्राधिकारी (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2024) के दौरान, यूपीसीडा ने बताया कि स्कीम योजनाओं का अनुमोदन प्रक्रियाधीन है। उ.प्र. सरकार ने यूपीसीडा को 64 स्कीम योजनाओं के अनुमोदन की अद्यतन स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। तथापि, यूपीसीडा द्वारा ऐसी कोई अद्यतन स्थिति उपलब्ध नहीं कराई गयी।

उ.प्र. सरकार ने बताया (जुलाई 2024) कि लेआउट योजनाओं को यूपीसीडा के प्रारम्भ से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो सकता है। यूपीसीडा 155 लेआउट योजनाओं के डिजिटलीकरण, लेआउट प्रमाणीकरण के साथ-साथ ऑनलाइन जीआईएस पोर्टल 'वन मैप यूपीसीडा' के कार्यान्वयन और ड्रोन सर्वेक्षण और ग्राउंड ट्रूथिंग के माध्यम से विद्यमान लेआउट को मान्य करने जैसी गतिविधियों को कार्यवान्वित कर रहा है। मूल्यांकन और आकलन के बाद, यदि आवश्यक होगा, यूपीसीडा लेआउट योजनाओं को संशोधित करेगा और सक्षम प्राधिकारी से इसे अनुमोदित कराएगा।

एक्स-लीडा अधिसूचित क्षेत्र के लिए जोनल योजना तैयार करने में विफलता

2.2.5 एक्स-लीडा बोर्ड ने अपनी 20वीं बैठक में 'योजनाओं के बनाने एवं अन्तिमीकरण विनियमन 2013' को अनुमोदित[5] किया (मई 2013)। इस विनियमन के प्रस्तर 5 में योजना[6] तैयार करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख है। एक्स-लीडा बोर्ड ने अपनी 26वीं बैठक में 2010-2031 की अवधि के लिए ड्राफ्ट महायोजना 2031 को अनुमोदित किया (अक्टूबर 2015) । उ.प्र. सरकार द्वारा इसे 18 अप्रैल 2016 को अनुमोदित किया गया।

---

[5] यूपीआईएडी अधिनियम की धारा 19 (1) के अधीन उ.प्र. सरकार का आवश्यक अनुमोदन, लम्बित था।

[6] प्रस्तर 2 (परिभाषाएं), क्लॉज (i) 'योजना' से आशय प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक विकास क्षेत्र (अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अन्तर्गत) के विकास के लिए अधिनियम की परिधि मे तैयार की गई महायोजना से है।

महायोजना का अध्ययन क्षेत्र लखनऊ और उन्नाव जिलों में 29,996 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ था। क्षेत्र की विकास क्षमता और प्राकृतिक संसाधन भण्डार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, इसे तीन जोनों अर्थात् लखनऊ के पास एक बहु-कार्यात्मक जोन, उन्नाव के पास एक औद्योगिक जोन तथा नवाबगंज के पास एक पर्यटन और प्रकृति संरक्षण जोन में, विभाजित करने का प्रस्ताव किया गया था। महायोजना में, आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक, मनोरंजन, सार्वजनिक और अर्द्ध-सार्वजनिक आदि सहित विभिन्न शहरी उपयोगों के लिए भूमि के आवंटन के अतिरिक्त, क्षेत्र के विकास और वृद्धि के लिए व्यापक प्रस्तावों को परिभाषित किया गया है। महायोजना के प्रस्तर 9.1 में कहा गया है कि महायोजना को लागू करने के लिए जोनल विकास योजनाएं, सेक्टर योजनाएं और विस्तृत क्षेत्र योजनाएं तैयार करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लीडा के यूपीसीडा के साथ विलय (मार्च 2021) के बाद, यूपीसीडा ने उपर्युक्त महायोजना 2031 को अंगीकृत किया (जून 2021)। तथापि, न तो यूपीसीडा द्वारा 31 मार्च 2024 तक और न ही एक्स-लीडा द्वारा यूपीसीडा के साथ विलय की तिथि तक जोनल योजनाएँ तैयार की गईं। उपर्युक्त परिदृश्य, क्षेत्र में अव्यवस्थित एवं अनियोजित विकास के जोखिम से परिपूर्ण है।

यूपीसीडा ने अपने उत्तर (सितम्बर 2023) में जोनल योजना तैयार न करने के लिए कोई विशिष्ट कारण नहीं दिया। उ.प्र. सरकार ने बताया (जुलाई 2024) कि यूपीसीडा ने एक्स-लीडा महायोजना 2041 की तैयारी के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर (एसपीए), दिल्ली को नियुक्त किया था। एसपीए जोनल/फेजिंग योजनाओं सहित एक्स-लीडा महायोजना-2041 की तैयारी की प्रक्रिया में था।

संस्तुति संख्या 2

यूपीसीडा को परिप्रेक्ष्य योजना, विकास योजना/पुनर्विकास योजना और जोनल योजनाएँ तैयार करनी चाहिए। उ.प्र. सरकार को सभी प्रस्तुत विनियमनों के अनुमोदन में भी शीघ्रता लानी चाहिए।

भूमि अधिग्रहण लक्ष्य प्राप्त न होना

2.2.6 औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति (आईआईईपीपी) 2017 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार रिक्त भूमि की पहचान करेगी जिसका उपयोग आईए/जोन में उद्योग के लिए भूमि बैंक के उद्देश्य से किया जा सकता है। इस नीति का उद्देश्य निवेशकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर इन भूखण्डों को उपलब्ध कराना है।

यूपीसीडा द्वारा भूमि का अधिग्रहण मुख्यतः तीन विधियों से किया जाता है, (i) स्वामियों से निजी भूमि का प्रत्यक्ष क्रय; (ii) निजी भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण; और (iii) गाँव सभा भूमि का पुनर्ग्रहण।

भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (एलएए, 2013) द्वारा शासित था, जिसने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (एलएए, 1894) को प्रतिस्थापित कर दिया (जनवरी 2014)।

यूपीसीडा (पूर्ववर्ती यूपीएसआईडीसी सहित) ग्राम पंचायत और निजी भू स्वामियों से भूमि अधिग्रहण के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यूपीसीडा/यूपीएसआईडीसी ने अपने बोर्ड को वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु संक्षेपित लक्ष्य प्रस्तावित किए थे। संक्षेपित लक्ष्यों का प्रस्ताव करते समय, वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए जिला/ग्रामवार विवरण सहित विस्तृत कार्य योजना प्रस्तावित की गई थी। तथापि, विस्तृत कार्ययोजना में बताए गए आंकड़े प्रस्तावित संक्षेपित लक्ष्य के आकड़ो के अनुरूप नहीं थे। उल्लेखनीय है कि एक ही वर्ष के लिए दोनों दस्तावेज एक ही बैठक में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। यह यूपीसीडा/यूपीएसआईडीसी की भूमि अधिग्रहण के प्रति गंभीरता की कमी को इंगित करती है। यूपीसीडा बोर्ड के समक्ष वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में कोई विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तावित नहीं की गई थी।

बोर्ड को भूमि अधिग्रहण के लिए वर्ष 2017-18 से 2022-2023 की अवधि के लिए प्रस्तावित संक्षिप्त लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियाँ नीचे **तालिका 2.1** में दी गई हैं।

तालिका 2.1 भूमि अधिग्रहण के लिए लक्ष्य व उपलब्धियाँ

क्र. सं.	वर्ष	लक्ष्य (एकड़ में)	उपलब्धियाँ (एकड़ में)	कमी (एकड़ में)	कमी (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 - 4)	(6)
1	2017-18	250	2.15	247.85	99.14
2	2018-19	250	181	69.00	27.60
3	2019-20	250	-	250.00	100.00
4	2020-21	1,000	1,864	---	---
5	2021-22	1,050	77.40	972.60	92.63
6	2022-23	750	--	750.00	100.00

स्रोत: बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजट

तालिका 2.1 से यह देखा जा सकता है कि यूपीसीडा ने वर्ष 2017-18 से 2022-23 के दौरान छ: वर्षों में से मात्र एक वर्ष (2020-21) में भूमि अधिग्रहण के लक्ष्य को प्राप्त किया। लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी 27.60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य थी जिसमे दो वर्षों (2019-20 और 2022-23) में कोई भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ। लक्ष्यों की उपलब्धि में सतत विफलता इंगित करती है कि यूपीसीडा द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए।

अग्रेतर, यूपीसीडा/यूपीएसआईडीसी ने वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक की अवधि के लिए विस्तृत जिला/ग्रामवार उपलब्धि तैयार नहीं की और बोर्ड को अवगत

नहीं कराया। भूमि अधिग्रहण निधि संवितरण रजिस्टर भी वर्ष 2020-21 से अपूर्ण था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (अप्रैल 2024) के दौरान, यूपीसीडा ने बताया कि कोविड-19 और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के निर्धारण के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। उ.प्र. सरकार ने बताया (जुलाई 2024) कि किसानों और स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। तथापि, शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए थे। भूमि अधिग्रहण निधि संवितरण रजिस्टर का सम्पूर्ण विवरण अब पूर्ण किया जा चुका था। तथापि, लेखापरीक्षा को अद्यतन भूमि अधिग्रहण निधि संवितरण रजिस्टर सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

निष्कर्ष

यूपीसीडा, आईआईडीडी, उ.प्र. सरकार से अनुमोदित विनियमनों के बिना अपने कार्यों का प्रबंधन कर रहा था और यह अपने गठन के बाद से अधिसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए परिप्रेक्ष्य योजना, विकास योजनाओं/पुनर्विकास योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दे सका था। स्कीम योजनाओं पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी लम्बित था। एक्स- लीडा और साथ ही साथ यूपीसीडा ने महायोजना 2031 के अनुमोदन के पाँच वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी तीन जोनों के लिए जोनल योजनाएं तैयार नहीं की थी, जो कि क्षेत्र में असंगठित एवं अनियोजित विकास के जोखिम से परिपूर्ण था।